कार्यालय जिला पंचायत, सीतापुर।

पत्रॉकः — 120 / मानचित्र / जि0पं0 / 2020–21 दिनॉकः 12/01/2021

केशव ग्रीन वैली
श्री राहुल अग्रवाल
मे0 केशव ग्रीन इण्डिया प्रा0लि0
पता 218, आर्य नगर, सीतापुर (उ0प्र0)
(मुख्य कार्यालय का पताः) प्लाट सं0 07 केशव ग्रीन सिटी, सीतापुर उ0प्र0।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न ग्राम जवाहरपुर, तहसील व जिला–सीतापुर में स्थित गाटा सं0 1901 एवॅ ग्राम सिकटिहा तहसील व जिला–सीतापुर में स्थित गाटा सं0 404 की भूमि का प्लाटिंग कराने हेतु प्रस्तुत केशव ग्रीन वैली का ले आउट / मानचित्र की स्वीकृति सम्यक विचारोपरान्त जिला पंचायत, सीतापुर की भवन निर्माण उपविधि दिनॉक 27.12.2014 के उपबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. भू–खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
2. उपरोक्त स्वीकृति मानचित्र में अथवा निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवॅ परिवर्धन बिना जिला पंचायत, सीतापुर की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।
3. किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर जिला पंचायत, सीतापुर इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवॅ सत्र न्यायालय सीतापुर होगा।
4. स्वीकृत मानचित्र तथा परमिट किसी भी दशा में स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में प्रयुक्त किया जायेगा।
5. प्रस्तावित स्वीकृत मानचित्र संरचना के अनुरूप ही भूखण्ड का विकास कराया जायेगा तथा सीवर लाइन, विद्युत व्यवस्था व मार्ग व्यवस्था संबंधित संस्था द्वारा समुचित ढ़ग से काराया जायेगा।
6. स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्रफल सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे– चकमार्ग, नाली, तालाब, मरघट, चारागाह, व नवीन परती भूमि एवॅ सीतापुर की महायोजना / नगरीय क्षेत्र से आच्छादित भूमि यथा लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, अग्नि शमन विभाग, वन विभाग, रेलवे विभाग, व अन्य शासकीय व अर्धशासकीय विभाग की भूमि होने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. उपविधि के अनुसार निर्माण के दौरान भूखण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू–आच्छादन पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के आच्छादन पर पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रत्येक दशा में स्थापित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भूखण्ड स्वामी की होगी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित न किये जाने की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
8. यदि भूमि संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो जिला पंचायत, सीतापुर इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा उक्त मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
9. शासन के पत्र सं0 1422(1) / 33–2–2019–152 / 2019 दिनॉक 29.05.2018 के अनुक्रम में उपरोक्त मानचित्र का उत्तर प्रदेश रियल स्टेट रेग्यूलेटरी अथारिटी में रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है। कृपया तद्नुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
10. उपविधि, नियमों एवॅ शर्तों के अधीन अनुज्ञा जारी होने के दिनॉक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवॅ मान्य होगी।

अभियन्ता,
जिला पंचायत, सीतापुर।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, सीतापुर।